फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/288 बअनवान अजीतसिंह बनाम जब्बरसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03/06/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही कर बहस करने हेतु निवेदन किया गया। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सरखेजडा तहसील बाली के खसरा नंबर 35 रकबा 2.5000 हैक्टर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.0600 हैक्टर व खसरा नंबर 44 रकबा 9.2700 हैक्टर बाबत विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद लंबित है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में मानते हुये दिनांक 16.10.2024 को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो स्थगन आदेश आदिनांक तक प्रभावी है तथा उक्त स्थगन से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा भी नही है। जिससे मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 16.10.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	